[illegible]

[illegible]

[illegible] 13/12/19 |

[illegible]

आदेश फलक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :वाराणसी,जनपद :जौनपुर,तहसील :मछली शहर
वाद संख्या :-00826/2019
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201914360300826
रईश अहमद बनाम राममखी
अंतर्गत धारा:- 116, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

मैने विद्वान अधिवक्तागण के विद्वतापूर्ण तर्को पर विचार किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का विधिवत अनुशीलन किया।

संक्षिप्त में विवाद का स्वरूप इसप्रकार है कि वादी द्वारा ग्राम नखतपुर, परगना घिसुआ, तहसील मछलीशहर की गाटा सं0 356, 359, 360, 360ख, 229 एवं 360मि में पक्षों के अंश विभाजन हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसमें न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री/आदेश दिनांक 12.9.2018 द्वारा विवादित गाटा में पक्षों का अंश निर्धारित करते हुए प्रारम्भिक डिक्री पारित किया गया और हल्का लेखपाल से तदनुसार फाट कुर्रा आहूत किया गया। हल्का लेखपाल द्वारा आदेश दिनांक 12.9.2018 के क्रम में फाट कुर्रा रंगभेदी दिनांकित 13.9.2019 दाखिल किया गया जो संलग्न पत्रावली है। वादी एवं प्रतिवादी पक्ष से हल्का लेखपाल के फाट के विरूद्ध किसी के द्वारा कोई आपत्ति नही दाखिल किया गया बल्कि कहा गया कि फाट से उन्हे कोई आपत्ति नही है, फाट मन्जूर है। हल्का लेखपाल द्वारा अपने बयान में कहा गया कि उसके द्वारा मौके पर पक्षों के कब्जा एवं सुविधा के अनुसार फाट तैयार किया गया है। फाट नियमानुसार है, पुष्ट किये जाने योग्य है।

हल्का लेखपाल द्वारा दाखिल फाट रंगभेदी के विरूद्ध किसी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति नही दाखिल की गयी। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि हल्का लेखपाल द्वारा प्रारम्भिक डिक्री/आदेश दिनांक 12.9.2018 के अनुसार फाट/कुर्रा रंगभेदी चित्र तैयार किया गया है, जिसमें पक्षों के अंश का फाट तदनुसार नियमानुसार तैयार करते हुए विभिन्न रंगों से प्रदर्शित किया गया है। हल्का लेखपाल द्वारा दाखिल फाट रंगभेदी दिनांकित 13.9.2019 नियमानुसार है। हल्का लेखपाल द्वारा अपने बयान में कहा गया कि उसके द्वारा मौके पर पक्षों के कब्जा एवं सुविधा के अनुसार फाट तैयार किया गया है। पक्षों द्वारा कहा गया कि फाट पुष्ट किया जाय। इसप्रकार स्पष्ट है कि फाट नियमानुसार है, जिससे किसी को कोई आपत्ति नही है। ऐसी स्थिति में आदेश दिनांक 12.9.2018 के अनुक्रम में हल्का लेखपाल द्वारा दाखिल फाट दिनांक 13.9.2019 परिपुष्ट/स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विस्तृत विवेचना के आधार पर ग्राम नखतपुर, परगना घिसुआ तहसील मछलीशहर की गाटा सं0 356, 359, 360, 360ख, 229 एवं 360मि0 के सम्बंध में इस न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 12.9.2018 एवं उसके क्रम में हल्का लेखपाल द्वारा दाखिल फाट रंगभेदी चित्र दिनांकित 13.9.2019 परिपुष्ट/स्वीकृत किया जाता है। नियमानुसार स्टाम्पशुल्क दाखिल किया जाय। डिक्री तैयार की जाय। परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद अनुपालन पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

13.12.19
(अमिताभ यादव)
उप जिलाधिकारी,
मछलीशहर, जौनपुर।

1857
26/12/19
26/12/19
26/12/19
(दस्तखत)

.../Print_Adverse_Details.aspx?eno=T201914360300826&file_dt=... &dt=26/03/2020